



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 252495

समक्ष
श्रीमान् रित्निंग आफिसर
स्नातक खण्ड वाराणसी विधान परिषद
निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।



जद

4-3-14
Prakash Singh
413114



स्नातक खण्ड वाराणसी

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के सम्मन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अरविन्द सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उधो सिंह आयु 43 वर्ष

जो जगन्मोहन-शाहशाहपुर जिला-वाराणसी (जिले का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से

अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं अरविन्द सिंह (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

2. मेरा नाम शैवापुरी, वाराणसी उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 271 के क्रम सं० 513

पर प्रविष्ट हूँ।
3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 9415622922 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) भागू नहीं है।

4. स्थायी लेखा सख्याक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्र.सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं <u>अरविन्द सिंह</u>	<u>AXRPS 7097R</u>	<u>2012-13</u>	<u>4,65,152=00</u>
2.	पति या पत्नी <u>श्रीमती रेखा सिंह</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>
3.	आश्रित-1 <u>अनुराग सिंह</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>
4.	आश्रित-2 <u>अनुप्रिया सिंह</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>
5.	आश्रित-3 <u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>	<u>भागू नहीं</u>

जय
4-3-14
413114

5. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	Cr.No- 353/08, थाना-रौहियाँ जि०-वाराणसी, उत्तर प्रदेश
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	धारा-279, 337, 427 I.P.C.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	Sp.C.J.M., वाराणसी, C.No- 1121/09, 28-03-2009
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	Sp.C.J.M., वाराणसी
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	04-03-2013
(च)	क्या समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	भागू नहीं
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	भागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	भागू नहीं

6- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादिष्ट दिया गया है/नहीं दिया गया है

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है :-

(क)	उत्तम मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	भागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	भागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दण्ड	भागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हों तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	भागू नहीं

4-3-14
41314

7. मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ -

अ- जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण-2 जमा/विनिधान की दशा में कम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण-3 सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण-4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण-5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम	
(i)	हाथ में नकदी	10,000/-	2,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	SBI-1110 3580709 =137827/- KGSGB 6160220 10006546 =361676/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं 312672323 125000/- 283037595	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	100000/- 283945527 → 125000/- 283948567 → 125000/- 283948304 → 105000/- 283948637 → 105000/- 283948060 → 51000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वोट/पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	UP6526911 ओलेरा-2004 425000/- UP65A8581 435000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (मार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	लागू नहीं	सोना = 208 ग्रा० 624,000/- चांदी = 500 ग्रा० 22,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसेकि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ix)	समग्र कुल मूल्य	17,14,003/-	6,48,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	


नल
4-3-14
513114

(ब) स्थावर आस्तियों के ब्यौरे -

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण-2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याए)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, स्वनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्घान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याए)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्घान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



4-3-14
 41314

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं				
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं				
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं				
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	लागू नहीं				
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिश्चय	लागू नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं				
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) सर्वेक्षण सं०	लागू नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं				
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं				
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं				
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	लागू नहीं				
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिश्चय	लागू नहीं				



20
 4-3-14
 413114

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं				
(v)	अन्य (जैसेकि संपत्ति में हित)	लागू नहीं				
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं				

8- मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोधों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत् आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धन कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4-3-14
413114

	सेवा कर शोध	लागू नहीं				
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	लागू नहीं				
	विक्रय कर शोध	लागू नहीं				
	कोई अन्य शोध	लागू नहीं				
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग-	लागू नहीं				
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं				

9- वृत्ति या उपजिविका के ब्यौरे :
 क. स्वयं नौकरी
 ख. पति या पत्नी सहिजी

10- मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- एम० ए० (गणित)

दत्तपति शाहू जी महाराज विश्व विद्यालय, कानपुर
वर्ष - 1999

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11- भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण :

1	अभ्यर्थी का नाम Advocate	श्री/श्रीमती/कुमारी- <u>अरविन्द सिंह</u>
2	डॉक के पूरा पता	<u>गाँव बपोस्ट-शाहशाहपुर</u> <u>जिला- वाराणसी</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>391 सेनापुरी, उ०प्र०</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>स्वतंत्र</u>
5	(क) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	<u>एक</u>

4-3-14
410114

(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं
6. ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं

7. का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय	
(क)	अभ्यर्थी	AXRPS 7097 R	2012-13	4,65,152=00
(ख)	पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	17,14,000/-	64,8000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियाँ	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की कय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	कय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
 की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(क)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	दायित्व :					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4-3-14
51315

उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम. ए. (गणित)

दलपति शाहू जी महाराज विश्व विद्यालय
कानपुर, वर्ष- 1999


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

सत्यापन


मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- क- मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
ख- मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग-क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से भिन्न कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04-3-2014 का सत्यापित किया गया।



अभिसाक्षी





शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।


शपथपत्र पर किसी शपथकमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

सभी दस्तावेजों को भेरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित, या सुपाठ्यरूप में साफ-साफ लिखित होना चाहिए।


Prshhat Singh
Advocate Notary
Govt. of India
Kanpur


51314


51314